28 नवंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त –
बैंक के केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई में कीट नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने के लिए व्यापक वार्षिक रखरखाव संविदा

परिसर विभाग, आरबीआई, 5वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई में 28 नवंबर, 2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे उपर्युक्त विषय पर एक बैठक आयोजित की गई थी।

(क) बैठक में भाग लेने वाले बैंक के अधिकारियों की सूची:

1	श्री सुनील एम सहारे	सहायक महाप्रबंधक (सामान्य)
2	श्रीमती साधना शेनाई	प्रबंधक (सामान्य)
3	श्री कार्तिक आर	प्रबंधक (तकनीकी-सिविल)
4	श्री अजमल मीरान	सहायक प्रबंधक (तकनीकी -सिविल)
5	श्री रविन्द्र कुमार	सहायक प्रबंधक (सामान्य)

(ख) बैठक में भाग लेने वाले बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों की सूची

	प्रतिनिधि का नाम	**ठेकेदार का नाम**
1.	श्री टी. सुधीर और शंकर मोरे	मैसर्स रेंटोकिल पीसीआई
2.	श्री श्रीपद	मेसर्स जी.डी. पेस्ट कंट्रोल
3.	श्री अमित पवार और सुहास दुसे	मैसर्स पवार पेस्ट कंट्रोल एंड मेनेजमेंट
4.	कस्तूरी कीर	मैसर्स हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड्स
5.	श्री ए.एच. शेख	मैसर्स नेशनल पेस्ट कंट्रोल

फर्मों के सभी प्रतिभागियों को ई-निविदा और कार्य के दायरे का संक्षिप्त विवरण दिया गया। बैठक में उठाए गए या ई मेल द्वारा भेजे गए प्रश्नों पर चर्चा की गई और अधिकारियों द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। उक्त का सारांश निम्नानुसार है:

क्रसं	**प्रश्न/सुझाव**	**स्पष्टीकरण/टिप्पणियां/संशोधन**
1	ईएमडी प्रस्तुत करने का तरीका और क्या एमएसएमई को ईएमडी जमा करने से छूट दी गई है?	यह स्पष्ट किया गया कि निविदा की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार ईएमडी को डीडी/एनईएफटी/बीजी के रूप में जमा किया जा सकता है। यह भी सूचित किया गया कि बैंक की नीति के अनुसार सभी एमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम) को इस निविदा के लिए ईएमडी राशि जमा करने से छूट दी गई है। हालांकि, ऐसी फर्मों को बोली समापन अवधि अर्थात **11.12.2023** को दोपहर 02:00 बजे से पहले इसकी सूचना देनी होगी और सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे।

2	सुरक्षा नियम - सीढ़ी का उल्लेख - ठेकेदार द्वारा उक्त प्रदान किया जाना है / व्यवस्था की जानी है या आरबीआई प्रदान करेगा ?	यह स्पष्ट किया गया कि ठेकेदार भाग 3 **निविदाकर्ता को सामान्य निर्देश** के खंड 3.21 में क्र सं 19 के अंतर्गत पहचान और सुरक्षा उद्देश्य के लिए साइट पर लगे अपने श्रमिक/कर्मचारियों को सुरक्षा जूते, हाथ के दस्ताने, **उपयोग करने योग्य सीढ़ी** और अन्य सुरक्षा उपकरण आदि के साथ फर्म का नाम और उनके पदनाम सहित एक उचित वर्दी प्रदान करेगा।
3	अग्नि सुरक्षा - अग्निशामक यंत्र रखने के लिए कहा गया है, क्या इसकी व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जानी है?	यह स्पष्ट किया गया कि अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुशंसित और जारी किए गए अग्निशामक यंत्र अग्नि सुरक्षा संहिता के भाग III (ग) के तहत क्रम सं 7 के अनुसार साइट पर रखे जाएंगे।
4	मात्राओं का बिल - वर्ष के अंत में मात्राओं को मापा जाएगा। बीओआई में निर्दिष्ट किए गए अनुसार सामग्री के सुपुर्दगी चालान के साथ संलग्न कर मासिक चालान प्रस्तुत किया जाएगा।	यह स्पष्ट किया गया कि बीओक्यू में निर्दिष्ट मात्रा पूरे वर्ष की खपत का अनुमान है। बैंक के अधिकारियों द्वारा प्रमाणित वास्तविक खपत पर और निविदा में ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। संबंधित महीने की समाप्ति के बाद 10 वें दिन तक निविदा में अन्यत्र उल्लिखित सभी सहायक दस्तावेजों के साथ बिल प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद, भुगतान **संविदा के भाग IV – संविदा के विशेष अनुदेशों के तहत खंड 4.5 "भुगतान शर्तों" के** अनुसार किया जाएगा।
5	संविदाओं का नवीकरण	यह स्पष्ट किया गया कि संविदा का नवीकरण भाग IV – संविदा के विशेष अनुदेश के तहत खंड 4.1 **"संविदा के नवीकरण के लिए मानदंड और एएमसी के लिए राशि**" में दिए गए फार्मूले के अनुसार किया जाएगा। साथ ही, यह भी सूचित किया गया है कि निविदा में दिए गए सामग्री घटक में भिन्नता के फॉर्मूले को इस प्रकार पढ़ा जाएगा: **वीएम = वीएमo X (ईपीआई$_{सी}$ – ईपीआई$_{पी}$)/ ईपीआई$_{पी}$** **जिसमें** **वीएम :** वर्तमान वर्ष के लिए सामग्री घटक राशि **वीएमo :** पिछले वर्ष के लिए सामग्री घटक राशि

		ईपीआई$_{सी}$: चालू वर्ष के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले सभी वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का औसत **ईपीआई$_{पी}$:** पिछले वर्ष के लिए संविदा शुरू होने की तारीख से 6 महीने पहले सभी वस्तुओं के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का औसत

3. इसके अलावा, बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया कि वे एमएसटीसी पोर्टल (वर्जन 3) पर पंजीकृत हैं। बोलीदाताओं से कहा गया कि यदि उन्हें एमएसटीसी पोर्टल (वर्जन 3) पर उपर्युक्त ई-निविदा के लिए बोली लगाते समय किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वे एमएसटीसी के सहायक व्यक्तियों और परिसर विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय करें।

4. यह नोट किया जाए कि बोली-पूर्व बैठक का कार्यवृत्त निविदा का हिस्सा होगा। फर्म द्वारा बोली प्रस्तुत किए जाने को बोली दस्तावेज और ऊपर दिए गए संशोधनों/स्पष्टीकरणों के अनुरूप माना जाएगा। सभी बोलीदाताओं को यह भी सूचित किया गया है कि वे निविदा और आवश्यक दस्तावेजों के साथ बोली पूर्व बैठक के कार्यवृत्त की विधिवत हस्ताक्षरित प्रति एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें।